

**इण्डिया लिटरेसी बोर्ड**  
**साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ (उ०प्र०)**  
**केन्द्रीय पुस्तकालय सदस्यता फार्म**

**सदस्यता शुल्क**

- विद्यार्थी/प्रतियोगी/शोधकर्ता हेतु सदस्यता शुल्क - रु० 250/- वार्षिक अथवा रु० 25/- मासिक
- सामान्य पाठक हेतु सदस्यता शुल्क - रु० 500/- वार्षिक अथवा रु० 50/- मासिक

फोटो

सदस्यता संख्या :.....

मैं ..... केन्द्रीय पुस्तकालय में सदस्य के रूप में पुस्तकालय में पठन-पाठन के लिए आवेदन देता/देती हूँ। मैंने नियमों को पढ़ लिया है और इन नियमों सहित इस समय के उप-नियम का पालन करने की, और पुस्तकालय से कोई मांग होने पर किताबों को तुरन्त वापस करने की विलम्ब फीस और अन्य बकाया निर्धारित समय में जमा करने की प्रतिज्ञा करता/करती हूँ।

मैं यह भी प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि जो भी पुस्तक पुस्तकालय से लूँगा/लूंगी वह मेरे व्यक्तिगत अध्ययन के लिए ली जाएगी। वह मेरे संरक्षण में रहेगी और किसी दूसरे को नहीं दी जाएगी। मैं अपने बारे में आवश्यक जानकारियाँ दे रहा/रही हूँ जो निम्नलिखित है -

तिथि :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) .....

पिता का नाम .....

व्यवसाय / छात्र .....

स्थायी पता .....

वर्तमान पता (यदि हो तो).....

आधार कार्ड/वाटर आई०डी० नं० .....(किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें)

मोबाइल नम्बर .....

ई-मेल आई०डी० .....

नमूना हस्ताक्षर का ..... मेरी उपस्थित में किया गया।

पुस्तकालयाध्यक्ष हस्ताक्षर

संस्थान के निदेशक के हस्ताक्षर

## इण्डिया लिटरेसी बोर्ड - साक्षरता निकेतन, लखनऊ

### केन्द्रीय पुस्तकालय के नियम

01. पुस्तकालय प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खुला रहेगा।
02. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के अधीन समस्त परियोजनाओं यथा राज्य संसाधन केन्द्र, उ0प्र0ए जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ व साक्षरता निकेतन परिसर में स्थित समस्त कार्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं अधिकारी नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करते हुए पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं।
03. साक्षरता निकेतन परिसर में आयोजित हो रहे प्रशिक्षण/कार्यशाला के प्रतिभागीगण भी निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की अनुमति उपरान्त प्रशिक्षण/कार्यशाला अवधि के लिए पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं।
04. निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के विशेष अनुमति पर जन सामान्य भी निर्धारित शुल्क जमा करके पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
05. पुस्तकालय का सदस्य बनते समय सभी को परिचय-पत्र दिया जायेगा।
06. पुस्तकें एक माह, पत्र/पत्रिकाएँ एक सप्ताह की अवधि के लिए निर्गत की जायेंगी।
07. निर्धारित समय पर पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएँ न लौटाने पर रु0 2/- प्रति पुस्तक प्रति दिन कर दर से विलम्ब शुल्क देना होगा।
08. प्रत्येक कर्मचारी व सदस्य एक समय में अधिकतम चार पुस्तकें व विभागाध्यक्ष एक बार में अधिकतम छः पुस्तकें सामान्य दशा में निर्गत करवा सकते हैं।
09. प्रशिक्षणार्थीगण पुस्तकें/पत्रिकाएँ प्रशिक्षण प्रभारी, विभागाध्यक्ष तथा निदेशक की अनुमति के उपरान्त ही निर्गत करवा सकते हैं।
10. निर्गत की गई पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो जाने पर अथवा खो जाने पर सम्बन्धित सदस्य की जिम्मेदारी होगी तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अन्तिम निर्णय निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड का मान्य होगा।
11. निर्गत की गई पुस्तकें/पत्रिकाएँ किसी भी समय वापस माँगी जा सकती हैं।
12. पुस्तकालय के नियमों का उल्लंघन करने पर पुस्तकालय की सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।
13. पुस्तकालय के अन्दर शान्ति बनाए रखना अनिवार्य है।
14. पुस्तकालय के बाहर लॉन में लगे फूल-पत्ती तोड़ना सख्त मना है।
15. पुस्तकालय में धूम्रपान वर्जित है।
16. पुस्तकालय के सम्बन्ध में अन्य जानकारी के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं।
17. पुस्तकालय में प्रवेश करने वाले सभी छात्र/विद्वान और बाहरी व्यक्ति अपने बैग और व्यक्तिगत सामान प्रवेश द्वार पर रखेंगे और पुस्तकालय में प्रवेश के पूर्व आगंतुक रजिस्टर पर सदिनांक हस्ताक्षर करेंगे।
18. केवल नोटबुक और पुस्तकालय की पुस्तकों को ही अन्दर ले जाने की अनुमति होगी।